न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2/2018 जिला दौसा ।

1. नारायण पुत्र सुक्का
2. रतन लाल पुत्र कजोड
3. रंगलाल पुत्र कजोड
4. रामदयाल पुत्र कजोड
5. रमेश पुत्र कजोड
6. आनन्दी लाल पुत्र श्री घासी
7. कृष्ण पुत्र श्री घासी
8. रामोती बेवा घासी

समस्त जातियान माली, निवासी पण्डितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र किशोर
2. रमेश पुत्र रामजी लाल
3. ख्याली पुत्र रामजी लाल
4. गिर्राज पुत्र रामजी लाल
5. छोटी देवी पत्नी रामजी लाल
6. रज्जो पुत्री रामजी लाल
7. गुड्डी पुत्री रामजी लाल
8. लाली बेवा मांग्या
9. रामप्रताप पुत्र मांग्या
10. रामफूल पुत्र मांग्या
11. रामकिशन पुत्र मांग्या

समस्त जातियान माली, निवासीयान पण्डितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राज.)

12. रामपति पुत्री मांग्या पत्नी स्व. गोपाल
13. बुगली उर्फ सोमोती पत्नी हबलुराम पुत्री मांग्या

निवासीयान ग्रम पण्डितपुरा हाल निवासीयान छिण्डीवालों की ढाणी धांधोलाई तहसील बसवा, जिला दौसा ।

14. ग्रम पंचायत पण्डितपुरा जरिये सरपंच पंचायत भवन पण्डितपुरा पंचायत समिति बांदीकुई जिल दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 27.11.2017

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्रीमती ललिता संजीव महरवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजेन्द्र सैनी

निर्णय

दिनांक –24.4.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.11.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम पंण्डितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा स्थित का आराजी के खातेदार सूगरिया के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 171 ग्राम पंचायत पण्डितपुरा द्वारा दिनांक 14.6.67 को रामजी लाल, लक्ष्मण, मांग्या पि. सूगरिया के नाम तस्दीक किया गया था । उक्त नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 के खिलाफ अपीलान्ट्स नारायण वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष दिनांक 13.7.2015 को अर्थात करीबन 48 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2017 से अपील अपीलान्ट लम्बे अर्से बाद प्रस्तुत किये जाने से पोषणीय नहीं होने व गुणावगुण के आधार पर ग्राम पंचायत पण्डितपुरा के द्वारा नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 को उचित मानते हुये खारिज की है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप जिला कलक्टर बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.11.2017 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2017 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण सख्या 171 दिनांक 14.6.67 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज सुगरिया की खातेदारी भूमि ग्राम पण्डितपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा के खाता संख्या 315 पुराना खाता संख्या 274 कुल खसरा 65 कुल रकबा 17.93 हैक्टेयर का नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 को रेस्पोंडेन्ट्स से साजबाज होकर सुगरिया के पुत्रान बताते हुये ग्राम पंचायत से प्रश्नगत नामांतरकरण अपने नाम करवा लिया । प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान अपीलान्ट्स को होने पर नामांतरकरण की प्रथम अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से अपील

Scanned by CamScanner

खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच किये बिना एवं मृतक सुगरिया के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है तथा अवैध व शून्य आदेश को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका कहना था मृतक खातेदार सुगरिया के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण थे, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मण के पिता किशोर है , रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ,3,4,6,7 के पिता एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 के पति रामजी लाल के पिता का नाम मूल्या है तथा रेस्पोडेन्ट 8 के पति व 9 से 11 के पिता मांग्या के पिता का नाम धन्ना है इसलिये रेस्पोंडेन्ट व उसके पिता सुगरिया के वारिस ना होकर किशोर, मूल्या व धन्ना के वारिसान है जिनके दस्तावेज रेकार्ड पर है , लेकिन ग्राम पंचायत ने मिली भगत कर अपीलान्ट्स को हानि पहुॅचाने लिये प्रश्नगत नामांतरकरण विधि विपरीत व कूटरचना कर तस्दीक किया है, जो निरस्तनीय है तथा इसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक भूल की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मण ने एक इकरारनामा दिनांक 19.3.2016 को अपीलान्ट के पक्ष में लिखा था जिसमें विवादित भूमि के असली मालिक अपीलान्ट्स को माना था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्नीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार सूगरिया की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 171 ग्राम पंचायत द्वारा 14.6.1967 को मृतक के लडकों रामजी लाल, लक्ष्मण, मांग्या पि. सूगरिया के नाम तस्दीक किया गया था । रेस्पोंडेन्ट्स विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में 48 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण कपोल कल्पित एवं मनगढन्त अंकित किया गया था । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि 48 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब को बिना उचित एवं संतोषजनक कारण के क्षमा किया जाना विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि यदि अपीलान्ट्स के विवादित भूमि में हक हकूक बनते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार तय कराने चाहिये । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठियों की एकमात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । उप जिला कलक्टर बांदीकुई , जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील लम्बे अर्से बाद प्रस्तुत होने , पोषणीय नहीं होने से व गुणावगुण के आधार पर ग्राम

Scanned by CamScanner

पंचायत पंडितपुरा द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 को उचित मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार सूगरिया की विरासत के नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 के संबंध में है । ग्रम पंचायत ने सूगरिया की विरासत का नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 को रामजी लाल, लक्ष्मण, मांग्या पि. सूगरिया के नाम तस्दीक किया गया था । उक्त नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 के खिलाफ अपीलान्ट्स नारायण वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष दिनांक 13.7.2015 को अर्थात करीबन 48 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2017 से अपील अपीलान्ट लम्बे अर्से बाद प्रस्तुत किये जाने से पोषणीय नहीं होने व गुणावगुण के आधार पर ग्रम पंचायत पण्डितपुरा के द्वारा नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14.6.67 को उचित मानते हुये खारिज की है । अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति रही है कि मृतक खातेदार सुगरिया के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण थे, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मण के पिता किशोर है , रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ,3,4,6,7 के पिता एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 के पति रामजी लाल के पिता का नाम मूल्या है तथा रेस्पोंडेन्ट 8 के पति व 9 से 11 के पिता मांग्या के पिता का नाम धन्ना है इसलिये रेस्पोंडेन्ट व उसके पिता सुगरिया के वारिस ना होकर किशोर, मूल्या व धन्ना के वारिसान है जिनके दस्तावेज रेकार्ड पर है , लेकिन ग्रम पंचायत ने मिलीभगत कर अपीलान्ट्स को हानि पहुँचाने के लिये प्रश्नगत नामांतरकरण विधि विपरीत व कूटरचना कर तस्दीक किया है, जो निरस्तनीय है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मण ने एक इकरारनामा दिनांक 19.3.2016 को अपीलान्ट के पक्ष में लिखा था जिसमें विवादित भूमि के असली मालिक अपीलान्ट्स को माना था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है ।

चित्र.
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार सूगरिया के नाऔलाद फौत होने पर ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण रामजी लाल, लक्ष्मण व मांग्या पि. सूगरिया के नाम तस्दीक किया है । विवादित भूमि के खातेदार सूगरिया अपीलान्ट्स पूर्वज होने से विधिक वारिस बताते हैं एवं निर्वाचक नामावली 2003 बांदीकुई में मांगी लाल के पिता का नाम धन्ना, रामजी लाल के पिता का मूलचन्द एवं लक्ष्मण के पिता का नाम किशोर अंकित है एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति आदेश, राशन कार्ड, ग्रमीण विकास विभाग का जॉब कार्ड,, मतदाता पहचान पत्र में लक्ष्मीनारायण के पिता का नाम किशोरी लाल अंकित है तथा मांगी लाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम धन्ना लाल अंकित है एवं रामजी लाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम मूलचन्द अंकित है । इससे

Scanned by CamScanner

प्रतीत होता है कि रामजी लाल, लक्ष्मण व मांग्या के पिता का नाम सूगरिया नहीं है । ग्रम पंचायत ने बिना वारिसान की विधिवत जॉच किये तथा वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि प्रकरण गुणावगुण पर ठोस हो तो मियाद के संबंध में न्यायालय को लचिला रूख अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण के विधिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील केवल लम्बे अर्से बाद प्रस्तुत किये जाने से पोषणीय नहीं मानते हुये बहुत ही संक्षिप्त रूप में आदेशिका पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2017 पारित कर खारिज की है, जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये क्षमा किया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार बसवा, जिला दौसा को विवादित भूमि के खातेदार मृतक सूगरिया के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर एवं उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः सूगरिया की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 27.11.2017 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 171 दिनांक 14:6.76 ग्रम पंचायत पण्डितपुरा निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बसवा , जिला दौसा को विवादित भूमि के खातेदार मृतक सूगरिया के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर एवं उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः सूगरिया की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner